



## कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इन्दौर



क्र.प्रनि/पक्षे/01/स्था-1/248/306

इन्दौर/दिनांक 24/5/18

### आदेश

कंपनी के आदेश क्रमांक प्रनि/पक्षे/01/स्था-1/248/953 इन्दौर दिनांक 18.12.17 से कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में दिनांक 01.07.17 से मूल वेतन + ग्रेड पे के योग पर 139 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय है तथा सातवें वेतनमान के आदेश क्र.प्रनि/पक्षे/01/स्था-1/वे.पु./17 दिनांक 06.01.18 की कंडिका 17 के अनुसार दिनांक 01.07.17 से मूल वेतन का 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय है ।

2 निर्णय लिया गया है कि :-

कंपनी के ऐसे समस्त कर्मिकों जिनको वर्तमान में छठवें वेतनमान के अनुसार वेतन व ग्रेड-पे के योग पर 139 प्रतिशत की दर से एवं सातवें वेतनमान में मूल वेतन पर 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय है, को म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र.एफ4-2/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 16.05.18 के अनुक्रम में मंहगाई भत्ते का भुगतान निम्नानुसार किया जावे :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01.01.2018 से	2% (कुल 7%)
छठवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01.01.2018 से	3% (कुल 142%)

3 मंहगाई भत्ते की गणना सातवें वेतनमान में निर्धारित मूल वेतन तथा छठवें वेतनमान में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के योग पर की जावेगी ।

4 उपरोक्तानुसार निर्धारित दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान माह मई-2018 के वेतन के साथ नगद किया जावेगा ।

5 माह जनवरी-18 से अप्रैल-18 की अवधि के देय मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त माह मई-18 के वेतन के साथ किया जावे ।

6 मंहगाई भत्ते की गणना के लिए 50 पैसे या उससे अधिक अंश को 1 रुपया माना जायेगा तथा 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा ।

आदेशानुसार

(मनोज पुष्प)

मुख्य महाप्रबंधक (मासं एवं प्रशा)

इन्दौर/दिनांक 24/5/18

प.क्र.प्रनि/पक्षे/01/स्था-1/248/10366

प्रतिलिपी :-

- 1 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, उर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 2 मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा), म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
- 3 मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा), म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., भोपाल ।
- 4 मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा), म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर ।
- 5 निदेशक (वाणिज्य/तकनीकी), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 6 कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (मा.सं. एवं प्रशा), म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
- 7 कार्यपालक निदेशक (इं.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 8 कार्यपालक निदेशक(आयपीडीएस/ऑपरेशन) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 9 मुख्य अभियंता (मा.सं. एवं प्रशा), म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर ।
- 10 मुख्य अभियंता (कार्य/आरपीडीआरपी-ए एवं बी तथा आयपीडीएस) कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
- 11 मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., उज्जैन ।
- 12 मुख्य अभियंता (सिविल) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 13 मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 14 अतिरिक्त मुख्य अभियंता (क्रय/वाणिज्य/एमटी/विस/एचटी प्रकोष्ठ) कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
- 15 अधीक्षण यंत्री (मण्डार) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।
- 16 अधीक्षण यंत्री (सू.प्रौ.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर । उक्त आदेश कंपनी की वेबसाइट पर प्रसारित करें ।
- 17 अधीक्षण यंत्री (शहर/संचा:संधा/सिविल) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ....
- 18 आयोग सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेसा कालोनी, विट्ठन मार्केट, भोपाल-462016
- 19 संयुक्त सचिव-11, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 20 संयुक्त सचिव-111, केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ, कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
- 21 कार्यपालन यंत्री (शहर/संचा:संधा/एसटीएम/एसटीसी/एमटी/सिविल/मण्डार) संभाग, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 22 उप सचिव, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 23 वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर/घार/खण्डवा/खरगोन/उज्जैन/देवास/रतलाम/मंदसौर
- 24 निज सचिव, प्रबंध निदेशक, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(एन.सी गुप्ता)  
संयुक्त सचिव-1